तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 126 / 2017 जीसुखराम आदि बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 136 एल.आर.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
14.08.2019	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण जीसुखराम–ओमप्रकाश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी 82 आर.बी. तह. रायसिंहनगर ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट एवं 88 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर चक लखा टिब्बा तह. रायसिहंगनर की वर्तमान खाता सं. 177 / 137 के मु.नं. 325 प.नं. 260 / 279 के कि.नं. 2 ता 9, 12 ता 19 व 22 ता 25 सालम–सालम कुल तादादी 5.060है बारानी भूमि में वादीगण के पिता के हिस्सा की 1.265है भूमि की जमाबंदी के कॉलम नं. 4 में वादीगण के पिता का नाम सुखराम बल्द रामचन्द्र दर्ज किया गया है के स्थान पर बरूहे जमाबंदी सम्वत् 2002 सन् 1945–46 के आधार पर सुखराम वल्द रामचन्द्र को दुरूस्त कर जमाबंदी एवं राजस्व रिकार्ड में मुखराम वल्द रामचन्द्र दर्ज किये जाने की डिक्री पारित कर रिकार्ड में दुरूस्ती के आदेश प्रतिवादी को दिए जाकर वादीगण को खातेदार घोषित करने हेतु निवेदन किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राजपैरोकार ने अपने जवाब में साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दावा योग्य होना अंकित किया हैं। तनकीयात कायम की गयी। दस्तावेज प्रदर्श किये गये। राजपैरोकार जिरह नहीं करना चाहते। इसलिए जिरह राजपैरोकार बंद की गयी। बहस वकील वादीगण एवं राजपैरोकार सुनी गयी। बहस अधिवक्तागण पक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसील कैम्प लखाहाकम का अवलोकन किया। दस्तावेज संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया। रिकार्ड अवलोकन से न्यायालय का निष्कर्ष हैं कि संहवन से राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मुखराम के स्थान पर सुखराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज हो गया हैं, जिसकी दुरूस्ती की जानी उचित प्रतीत होती हैं। चूंकि वादीगण द्वारा संबंधित सभी को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया हैं। ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार घोषित किए जाने के बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सकता हैं। अतः प्रकरण का औचित्य मात्र खाता दुरूस्ती का ही रह जाता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादीगण शपथ–पत्र जीसुखराम पहचान प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत लखाहाकम प.सं. रायसिंहनगर दिनांक 30.09.2015 के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाकर जमाबंदी चक लखाटिब्बा तह. रायसिंहनगर के खाता सं 226 / 177 प.नं. 26 / 279 मु.न. 325 की कुल 5.0600है. भूमि में से सुखराम वल्द रामचन्द्र के नाम दर्ज 1.265है की दुरूस्ती कर सुखराम वल्द रामचन्द्र के स्थान पर मुखराम वल्द रामचन्द्र दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (सन्दीप कुमार) उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner